

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, गवालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

एलएनआईपीई परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित आर.ओ. सिस्टम और जल मृदुकारी (वॉटर सॉफ्टनर) के लिए समग्र वार्षिक रखरखाव करार हेतु

निविदा दस्तावेज-सह-प्रपत्र

(ए) तकनीकी बोली :

बोलीकर्ताओं को पात्र घोषित होने के लिए तकनीकी बोली को संलग्नक 'ए' में दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेजों की विधिवत रूप से हस्ताक्षरित / स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

1. "कुलसचिव, एलएनआईपीई" के पक्ष में गवालियर में देय रूपये 19,500/- के बैंक ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी. या किसी शेड्यूल बैंक से बैंक गारंटी) या (वैध प्रमाण पत्र जमा करने पर एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए छूट)
2. बोलीकर्ता फर्म का नाम, पूरा पता, फोन नंबर, ई-मेल, वेबसाइट आदि।
3. बोलीकर्ता फर्म की स्थिति, यथा - सार्वजनिक लिमिटेड/ प्राइवेट लिमिटेड/ भागीदारी फर्म या प्रोपराइटरशिप फर्म (निगमन का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
4. पिछले एक तिमाही के जीएसटी रिटर्न की प्रति के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
5. बोलीकर्ता फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)
6. ईपीएफ पंजीकरण संख्या, इसकी प्रति और पिछले छह माह के ईपीएफ जमाओं की प्रति, यदि लागू हो।
7. ईएसआई पंजीकरण संख्या, इसकी प्रति और पिछले छह माह के ईएस आई जमाओं की प्रति, यदि लागू हो।
8. 31 मार्च 2021 (मूल्यांकन वर्ष 2021-22) को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, अनुमानित लागत का कम से कम 30% होना चाहिए (निविदा के संलग्नक - सी में निर्धारित प्रारूप में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार प्रमाण पत्र" के साथ इन तीन वर्षों की बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न संलग्न करें)
9. सरकारी संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों / शैक्षिक संस्थानों / निजी संगठनों में पिछले 7 वर्षों (सितंबर , 2022 तक) के दौरान आर.ओ. प्रणाली के रखरखाव जैसे कार्यों को सफलतापूर्वक निम्नवत पूरा करने का अनुभव:-
समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।

अथवा

समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।

अथवा

*Raveen
6100*

समान प्रकृति का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

[समान प्रकृति के केवल उपर्युक्त 3/2/1 कार्य आदेशों की प्रतिलिपि के साथ संबंधित ठेका पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें, यथा सरकारी संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों / शैक्षिक संस्थानों में आर.ओ.प्रणाली का रखरखाव]

10. बोलीकर्ता कंपनी का अपना बैंक खाता है (पिछले एक माह के ब्योरे के साथ खाते का विवरण दें)।
11. बोलीकर्ता द्वारा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर इस आशय का एक शपथपत्र कि -
 - (अ) फर्म / एजेंसी को किसी भी सरकारी विभाग / सार्वजनिक उपक्रम / संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है;
 - (ब) किसी भी सरकारी विभाग / सार्वजनिक उपक्रमों / शैक्षिक संस्थानों द्वारा अवधि समाप्त होने से पहले कभी भी बोलीकर्ता फर्म के किसी भी रखरखाव अनुबंध को समाप्त नहीं किया गया;
 - (स) बोलीकर्ता फर्म के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है;

(बी) वित्तीय बोली :

1. वित्तीय बोली को केवल संलग्नक 'बी' प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को निर्धारित तिथि और समय पर खोला जाएगा, जिनकी तकनीकी बोलियां सक्षम अधिकारी द्वारा योग्य पायी गयी हों।
3. उद्धृत की गई दरें समस्त करों सहित होनी चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

(सी) कार्य का दायरा :

1. अनुबंध अवधि के दौरान आर.ओ. सिस्टम और जल मृदुकारी (वॉटर सॉफ्टनर) को चालू हालत में रखना।
2. महीने में कम से कम एक बार आर.ओ. की सर्विसिंग करना। हालांकि, अनुबंध शुरू होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सभी आर.ओ. की शुरुआती सर्विस पूरी करनी होगी।
3. पखवाड़े में एक बार जल मृदुकारी (वॉटर सॉफ्टनर) को रीचार्ज करना, जिसमें फिल, ब्रिनिंग, ब्राइन रिंस, बैकवाश और फास्ट रिंस शामिल हैं।
4. जहाँ भी आर.ओ. पानी की आपूर्ति वाटर कूलर के माध्यम से की जाती है, वहाँ पानी के टैंकों यांत्रिक सफाई के साथ सभी आर.ओ. की साप्ताहिक जाँच होनी आवश्यक है।
5. आर.ओ. सिस्टम के पानी का टी.डी.एस. निर्दिष्ट सीमा के भीतर बनाए रखना और ट्रैमासिक बित्तों के साथ सभी इकाइयों की मासिक टी.डी.एस. रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
6. समग्र रखरखाव अनुबंध रोकथाम के साथ-साथ आकस्मिक रखरखाव के लिए है और इसमें सीएमसी अवधि के दौरान निम्नलिखित भागों की निशुल्क मरम्मत और प्रतिस्थापन शामिल है :-
 - a) सभी प्रकार के फिल्टर
 - b) आरओ के समुचित कार्य के लिए एंटी स्केलिंग रसायन और ऐसे अन्य उपभोग्य।

- c) कार्बन
 - d) कंप्रैशर
 - e) डिल्ली (मेम्ब्रेन)
 - f) रिले
 - g) ऊष्मातापी (थर्मोस्टेट)
 - h) ट्रॉसफार्मर
7. आरओ को चालू हालत में रखने के लिए आवश्यक सभी स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य सामग्रियां (आयातित या अन्य), ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएंगी। यदि उनके पास ये उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर आयात / क्रय किया जाएगा।
8. सीएमसी अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार प्री फ़िल्टर कैंडल का प्रतिस्थापन किया जाएगा।
9. सेवा करार अवधि के दौरान तिमाही में कम से कम एक बार सक्रिय कार्बन का प्रतिस्थापन किया जाएगा।
10. तिमाही में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर सेडीमैटेशन फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, और मेम्ब्रेन का प्रतिस्थापन।
11. आर.ओ. सिस्टम के लिए प्रदान किए गए विद्युत भागों और इलेक्ट्रिक मोटर की मरम्मत सहित आवश्यकतानुसार पुर्जा (पार्ट्स) का प्रतिस्थापन और रिवाइंडिंग।
12. सेवा अनुबंध अवधि के दौरान आवधिक सर्विसिंग या ब्रेकडाउन के दौरान अल्ट्रा-वॉयलेट लैंप, ऑन-ऑफ स्विच, कंट्रोलिंग पीसी, आरओ सिस्टम और इनलेट/ आउटलेट पाइप जैसे घिसे-पिटे/ खराब हुए भागों का निः शुल्क प्रतिस्थापन।
13. सभी घिसे-पिटे/ खराब हो चुके भाग ठेकेदार की संपत्ति होंगे।
14. सभी भाग/हिस्सों का प्रमाणीकरण, जहां भी लागू हो, आई.एस.आई., आई.एस.ओ. या उसके समकक्ष होना चाहिए, और इसे संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि सीएमसी अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आपूर्ति की गई सामग्री अमानक / हीन गुणवत्ता वाली है, तो फर्म के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति, निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को जब्त करना और उन्हें भविष्य की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित करना शामिल है।
15. करार की अवधि के दौरान, शिकायतों को 24 घंटों के भीतर सुना जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए, ठेकेदार को काम के घंटों के दौरान परिसर में कम से कम दो तकनीकी कर्मियों को तैनात करना आवश्यक होगा।
16. यदि ठेकेदार 24 घंटे के भीतर शिकायत दूर करने में विफल रहता है, तो उसपर रु. 500/- प्रति दिन प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे ठेकेदार के अगले बिल से वसूल किया जाएगा।
17. करार की अवधि के दौरान, यदि आर.ओ. यूनिट में कोई दोष पाया जाता है, तो इसे ठेकेदार द्वारा निः शुल्क ठीक किया जाएगा।

18. ठेकेदार द्वारा सभी मरम्मत कार्य संस्थान परिसर में ही किए जाएंगे। केवल ऐसे कार्य, जिन्हें परिसर में निष्पादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिसर के बाहर मरम्मत करने की अनुमति दी जाएगी।
19. ठेकेदार द्वारा समस्त मरम्मत, प्रतिस्थापन, रखरखाव, कूलर की टंकियों का रोकथाम चेक-अप/ सफाई इत्यादि कार्य उक्त भवन/ विभाग/ इकाई के प्रभारियों को सूचित करके ही किये जाएंगे और उनसे लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये जाएंगे, जिसे त्रैमासिक बिल (बिलों) के साथ प्रस्तुत करना होगा।
20. संस्थान द्वारा श्रमिक मजदूरी, ईएसआई, ईपीएफ, वर्दी, बैज आदि के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(डी) वर्तमान में परिसर में स्थापित आर.ओ. सिस्टम और जल मृदुकारियों का विवरण :

वर्तमान में एलएनआईपीई परिसर में विभिन्न स्थानों पर 34 आर.ओ. (विभिन्न संस्करण के) और 2 जल मृदुकारी (सॉफ्टनर) स्थापित हैं, जो निम्नवत हैं: -

क्रमांक	आर.ओ. का स्थान	क्षमता (Lph में)
1	पुरुष छात्रावास	1000 Lph
2	महिला भोजनालय	250 Lph
3	शैक्षणिक भवन	250 Lph
4	योग विभाग	250 Lph
5	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास	250 Lph
6	ध्यानचंद छात्रावास	250 Lph
7	मदर टेरेसा छात्रावास	250 Lph
8	विवेकानंद छात्रावास	250 Lph
9	अरबिंदो छात्रावास	250 Lph
10	बहुउद्देशीय हॉल	250 Lph
11	स्वास्थ्य केंद्र	250 Lph
12	मृगनयनी छात्रावास	250 Lph
13	तरण ताल	250 Lph
14	प्रताप छात्रावास	250 Lph
15	आजाद छात्रावास	250 Lph
16	शिवाजी छात्रावास	250 Lph
17	सुभाष छात्रावास	250 Lph
18	प्रशासनिक भवन	250 Lph
19	केन्द्रीय भण्डार	250 Lph
20	पुराना शैक्षणिक भवन (प्रथम तल)	100 Lph
21	डीडीयू छात्रावास (भूतल)	100 Lph

22	डीडीयू छात्रावास (प्रथम तल)	100 Lph
23	डीडीयू छात्रावास (द्वितीय तल)	100 Lph
24	स्कवाश का मैदान	50 Lph
25	यूजीसी - एचआरडीसी (भगत सिंह छात्रावास भोजनालय)	50 Lph
26	व्यायामशाला	50 Lph
27	तरण ताल	50 Lph
28	नया शैक्षणिक भवन(प्रथम तल)	20 Lph
29	नया शैक्षणिक भवन (द्वितीय तल)	20 Lph
30	स्वास्थ्य शिक्षा विभाग	20 Lph
31	अतिथि गृह	20 Lph
32	यूजीसी - एचआरडीसी (भगत सिंह छात्रावास)	20 Lph
33	पुस्तकालय भवन	10 Lph
34	कुलपति बंगला	10 Lph
35	जल मृदुकारी (हाँकी मैदान)	01
36	जल मृदुकारी (पुरुष भोजनालय)	01

हालांकि, सीएमसी की अवधि के दौरान उपकरणों के खराब होने अथवा नए उपकरणों के क्रय/जोड़ के कारण, उपर्युक्त मात्रा में समय-समय पर भिन्नता हो सकती है। नए संयंत्रों की दरें संबंधित क्षमता के लिए तय की गई दर के अनुसार होंगी और ऐसे मामलों में सीएमसी की अवधि में भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

(ई) निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

- निविदाओं को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसके ऊपर “एलएनआईपीई परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित आर.ओ. सिस्टम और जल मृदुकारी (वॉटर सॉफ्टनर) के लिए समग्र वार्षिक रखरखाव करार हेतु” लिखा हो, तथा इसे उपर्युक्त दर्शायी गयी तिथि और समय तक उप कुलसचिव (संपदा) के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में पहुंच जाना चाहिए। निविदाओं को स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है, जिनके लिफाफे पर उपर्युक्त विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए और ऐसे मामलों में, यह बोली लगाने वाले का उत्तरदायित्व होगा कि वह डाक निर्धारित की गयी तिथि और समय तक संस्थान में पहुंच जाए।
- मुख्य निविदा लिफाफे में निम्नलिखित दो सीलबंद लिफाफे रखे होने चाहिए :-

लिफाफा क्रमांक 1 - संलग्नक ‘ए’ में दिए गए प्रारूप में “तकनीकी बोली”, अन्य वांछित दस्तावेजों बैंक ड्राफ्ट के साथ एवं ईएमडी / छूट प्रमाण पत्र।

लिफाफा क्रमांक 2 - संलग्नक ‘बी’ में दिए गए प्रारूप में “वित्तीय बोली”, जिसमें दर / राशि को निर्धारित स्थान पर अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना चाहिए।

- तकनीकी बोली के सभी पृष्ठ बोलीकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होने चाहिए।

4. वित्तीय बोली भी विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
5. वित्तीय बोली में दी गयी दरों में सभी उपयुक्त सामग्रियों, श्रम, मशीनरी, मशीनों के उपकरण, संयंत्रों की लागत और कार्य के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक सभी उपकरणों की लागत शामिल होगी। शिकायत पर कार्य करने हेतु अलग से किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. उद्धृत वित्तीय सभी लागू शासकीय करों, मुफ्त सेवाओं और पेयजल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी अवयवों के प्रतिस्थापन को समिलित करते हुए होंगे।
7. सर्वानुबंध बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।
8. तकनीकी बोली खुलने से पहले किसी भी कारण से, संस्थान अपनी वेबसाइट के माध्यम से निविदा दस्तावेज में उपयुक्त संशोधन कर सकता है। इस बारे में संभावित बोलीकर्ताओं से अलग से किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
9. बोलीकर्ता निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे और तदनुसार दोनों प्रारूपों (तकनीकी और वित्तीय) के सभी कॉलमों को स्पष्ट रूप से भरेंगे। ऐसा न करने पर संस्थान बोली अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
10. अहस्ताक्षरित और अपूर्ण भरी हुई निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
11. निविदा खोलने हेतु गठित समिति द्वारा तकनीकी बोलियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि वे उपस्थिति होना चाहें, की उपस्थिति में खोला जाएगा।
12. निविदायें अपने खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक स्वीकृति हेतु खुली रहेगी।
13. निविदा को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी को विमुक्त/वापस कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिदायों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. तकनीकी रूप से सफल बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली को निर्धारित तिथि एवं समय पर बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि वे उपस्थिति होना चाहें, की उपस्थिति में खोला जाएगा। इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
15. बोलीकर्ताओं को अपने प्रस्ताव देने से पहले कार्यस्थल का निरीक्षण करना चाहिए और एमसी के तहत कवर होने वाली मशीनों का निरीक्षण करना चाहिए।
16. उन बोलीकर्ताओं के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, जिन्हें तकनीकी बोलियों के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

(एफ) अनुबंध की सामान्य शर्तें -

1. करार की अवधि अपने प्रारंभ होने की तिथि से 12 माह के लिए होगी, जिसे संस्थान के आकलन और आपसी सहमति के अनुसार ठेकेदार के उत्कृष्ट प्रदर्शन के अधीन वार्षिक आधार पर अधिकतम 24 माह की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। अनुबंध की दरें प्रतिवर्ष मूल करार वित्तीय के अधिकतम 5% तक बढ़ाइ जा सकती हैं।

*Done
01/02*

2. संस्थान करार की अवधि के दौरान किसी भी समय , बिना किसी कारण बताए या ठेकेदार के खराब प्रदर्शन की स्थिति में करार को समाप्त करने का अधिकार रखता है।
3. निविदा आमंत्रित करने की यह नोटिस करार दस्तावेज का हिस्सा बनेगी और सफल बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगी।
4. करार प्राप्त होने की सूचना मिलने के बाद सफल बोलीकर्ता 15 दिनों के भीतर, रुपये 200/- का एक गैर-न्यायिक स्टांपपत्र प्रस्तुत करेगा और वर्तमान निविदा की शर्तों और दशाओं परकार्य करने हेतु संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।
5. सफल बोलीकर्ता को कुलसचिव, एलएनआईपीई, ग्वालियर के नाम पर बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा के रूप में कुल करार मूल्य की 10% राशि निष्पादन सुरक्षा राशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त निष्पादन सुरक्षा राशि को अनुबंध अवधि या विस्तारित अवधि के सफल/ संतोषजनक समापन पर, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिदाय या रिफंड पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. बोलीकर्ता निविदा दस्तावेज में दिए गए विभिन्न शर्तों और दशाओं के अनुसार अपनी दरें उद्धृत करेगा। सभी आवश्यक सामग्री और श्रम ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्थान का सक्षम प्राधिकारी निविदा के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार रखता है और ठेकेदार उद्धृत दरों पर ही कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
8. संस्थान के सक्षम अधिकारी विभिन्न क्षमताओं के आरओ सिस्टम के लिए योग्य / पात्र बोलीकर्ता को करार प्रदान करने के लिए उनके द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर और व्यावहारिकता को दृष्टिगत करते हुए निविदा को विभाजित / संयोजित करने का अधिकार भी रखते हैं।
9. ठेकेदार को तिमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए दो प्रतियों में बिल के साथ मासिक रूप से टीडीएस रिपोर्ट, सभी आर.ओ. प्रयोक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संतोषजनक कार्य रिपोर्ट, समस्त आर.ओ. की मासिक रोकथाम जाँच रिपोर्ट, कूलर की पानी की टंकी की सफाई जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
10. उप-करार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. यदि ठेकेदार फर्म, किसी भी कारणवश अनुबंध की निर्धारित अवधि के लिए सेवा प्रदान करने में विफल रहता है या संस्थान की संतुष्टि के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, या करार की किसी शर्त और दशा का उल्लंघन करता है, तो संस्थान के पास अनुबंध रद्द करने की 01 माह की लिखित नोटिस पर ईएमडी और/ अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को जब्त करने, जैसा भी मामला हो, का अधिकार होगा। इसके अलावा संस्थान के पास ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।
12. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों का व्यवहार विनम्र और अच्छा होना चाहिए तथा वे कार्य के घंटों के दौरान, तथा संस्थान परिसर में शराब का सेवन नहीं करेंगे।
13. करार की अवधि के दौरान किसी भी कानून / विनियमन आदि के लागू होने के कारण ठेकेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

14. सामग्री या इस करार के किसी भी तत्व पर लगने वाले सभी कर ठेकेदार द्वारा देय होंगे और संस्थान इस संबंध में किसी तरहके दावे पर विचार नहीं करेगा। ठेकेदार की दरें ऐसे सभी करों को भरने योग्य होनी चाहिए।
15. संस्थान इस करार के तहत ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों से आईटी अधिनियम एवं समय-समय पर लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर ही आयकर और अन्य देय करों की कटौती करेगा।
16. निविदा प्रदान करने का मानदंड बोलीकर्ता द्वारा सबसे कम उद्धृत दरों पर आधारित होगा।
17. एजेंसी के अंतिम रूप से चयन के पूर्व संस्थान के पास उद्धृत दरों के औचित्य को पूछने का अधिकार है।
18. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी उपकरण के असामान्य कामकाज या दोषपूर्ण संचालन को तत्काल पर्यवेक्षक (बी एण्ड आर) की जानकारी में लाये और इनके खराब होने/ व्यवधान से बचने के लिए समय पर आवश्यक कदम उठाये।
19. ठेकेदार के अधिकृत कर्मचारियों की लापरवाही / गलती के कारण किसी उपकरण, मशीनरी या प्रणाली को होने वाली किसी भी क्षति के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा और उसे अपने जोखिम और लागत पर उन्हें ठीक करना होगा।
20. संस्थान और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कुलपति, एलएनआईपीई, ग्वालियर द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी और इसमामले को यथानियुक्त मध्यस्थ को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा।
21. निविदा के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश करना पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं जो बोलीकर्ता ऐसा करता है, उसकी निविदा निरस्त करने योग्य होगी।
22. संस्थान और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद का निपटारा केवल ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही होगा।

Ram Gopal

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्रालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

एलएनआईपीई परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित आरओ. सिस्टम और जल मृदुकारी (वॉटर सॉफ्टनर) के लिए समग्र वार्षिक रखरखाव करार हेतु
तकनीकी बोली प्रपत्र

क्रम संख्या	विवरण	क्या दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं	यहां जानकारी दें	पृष्ठ संख्या पर प्रतिलिपि संलग्न
1	"कुलसचिव, एलएनआईपीई" के पक्ष में ग्रालियर में देय रूपये 19,500/- के बैंक ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी. या किसी शेड्यूल बैंक से बैंक गारंटी (वैध प्रमाण पत्र जमा करने पर एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए छूट)	मांग ड्राफ्ट नं. दिनांक राशि बैंक का नाम एवं शाखा	_____ _____ रूपये 19,500/- _____	लागू नहीं
2	बोलीकर्ता का पूरा पता, टेलीफोन/ मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, वेबसाइट आदि			लागू नहीं
3	बोलीकर्ता की स्थिति, यथा- पब्लिक लिमिटेड/ प्राइवेट लिमिटेड/ भागीदारी फर्म या प्रोपराइटरशिप फर्म (निगमन का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	हां/नहीं		
4	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) (पिछले एक तिमाही के जीएसटी रिटर्न की प्रति संलग्न करें)	हां/नहीं		
5	एजेंसी का स्थायी खाता संख्या (पैन) (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	हां/नहीं		
6	ईपीएफ पंजीकरण संख्या, इसकी प्रति और पिछले छह महीनों के ईपीएफ प्रेषण के चालान (दस्तावेज संलग्न करें)	हां/नहीं		
7	ईएसआई पंजीकरण संख्या, इसकी प्रति और पिछले तीन महीनों के ईएसआई प्रेषण के चालान (दस्तावेजों को संलग्न करें)	हां/नहीं		

8	<p>दिनांक 31 मार्च 2021 (मूल्यांकन वर्ष 2021-22) को समाप्त वित्तीय वर्ष को पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार अनुमानित लागत का न्यूनतम 30% होना चाहिए (निविदा के संलग्नक - सी में निर्धारित प्रारूप में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार प्रमाण पत्र" के साथ इन तीन वर्षों की बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न संलग्न करें)</p>	हाँ/नहीं	<u>वित्तीय वर्ष कारोबार</u>	
			2018-19	
			2019-20	
			2020-21	
9	<p>सरकारी विभाग/ संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ शैक्षणिक संस्थानों/ निजी संगठनों में पिछले 7 वर्षों (सितंबर 2022 तक) के दौरान समान प्रकृति के कार्य जैसे आर.ओ. के रखरखाव को सफलतापूर्वक पूरा करने का निम्नलिखित में से कोई अनुभव :-</p> <p>(अ) समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।</p> <p>(ब) समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।</p> <p>(स) समान प्रकृति का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।</p> <p>[केवल इन 3/2/1 कार्य आदेशों के साथ समान प्रकृति के कार्यों यथा सरकारी विभाग/ संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ शैक्षणिक संस्थानों में आर.ओ. प्रणाली का रखरखाव के पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें]</p>	हाँ/नहीं		
10	<p>बोलीकर्ता कंपनी का अपना बैंक खाता है (पिछले एक माह के ब्योरे के साथ खाते का विवरण दें)।</p>	हाँ / नहीं	<p>खाता क्रमांक</p> <p>खाते का प्रकार</p> <p>बैंक शाखा</p> <p>आईएफएससी</p>	

11	<p>बोलीकर्ता की ओर से रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र कि:</p> <p>(ए) फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम/ संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है;</p> <p>(बी) बोलीकर्ता के किसी भी रखरखाव करार को किसी भी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम/ शैक्षिक संस्थान द्वारा अनुबंध अवधि समाप्त होने के पूर्व निरस्त नहीं किया गया है;</p> <p>(सी) बोलीकर्ता फर्म के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।</p> <p>(मूल प्रति संलग्न करें)</p>	हाँ/नहीं		
12	अन्य कोई जानकारी			

शपथपत्र

- मैंने/हमने निविदा दस्तावेज को सामान्य शर्तों और दशाओं, कार्य के दायरे और वर्गीकरण सहित सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम इनके पालन का वचन देते हैं।
- हमने कार्यस्थल का भ्रमण कर लिया है और वर्तमान निविदा दस्तावेज में वर्णित सभी आर.ओ. इकाईयों और जल मृदुकारी का निरीक्षण कर लिया है, जिसके लिए यह बोली प्रस्तुत की जा रही है।
- मैं/ हम इस बात की पुष्टि करता/ते हूँ/हैं कि इस निविदा में दी गई सभी सूचनायें, मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और इसमें कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है।
- मैं/ हम यह सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और मुझे/हमें स्वीकार्य होगा।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर: _____

नाम, पता, फोन और मुहर: _____

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

एलएनआईपीई परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित आर.ओ. सिस्टम और जल मृदुकारी (वॉटर सॉफ्टनर) के लिए समग्र वार्षिक रखरखाव करार हेतु

वित्तीय बोली प्रपत्र

आर इकाईयों की क्षमता	ओ की (*)	मात्रा	इकाई प्रति अंकों में	दर वर्ष	इकाई प्रति शब्दों में	दर वर्ष	कुल राशि अंकों में	कुल राशि : शब्दों में
1000 Lph	1 (एक)							
250 Lph	18 (सत्रह)							
100 Lph	4 (चार)							
50 Lph	4 (चार)							
20 Lph	5 (पांच)							
10 Lph	2 (दो)							
जल मृदुकारी	2 (दो)							
कुल	34	आर.ओ. और 2 जल मृदुकारी	अनुदान कुल लागत (रुपये)		अंकों में.....		शब्दों में.....	

(*)एलएनआईपीई परिसर में स्थापित आरओ प्रणाली और जल मृदुकारी की वर्तमान अवस्थिति के अनुसार, जिसकी मात्रा में सीएमसी की अवधि के दौरान उपकरणों के खराब होने अथवा नए उपकरणों के क्रय/ जोड़ के कारण, समय-समय पर भिन्नता हो सकती है। सीएमसी की अवधि के दौरान नए संयंत्रों की दरें संबंधित क्षमता के लिए तय की गई दर के अनुसार होंगी और ऐसे मामलों में भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

शपथपत्र

- मैंने/हमने निविदा दस्तावेज को सामान्य शर्तों और दशाओं, कार्य के दायरे और वर्गीकरण सहित सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम इनके पालन का वचन देते हैं।

2. हमने कार्यस्थल का भ्रमण कर लिया है और वर्तमान निविदा दस्तावेज़ में वर्णित सभी आर.ओ. इकाईयों और जल मृदुकारी का निरीक्षण कर लिया है, जिसके लिए यह बोली प्रस्तुत की जा रही है।
3. मैं/ हम इस बात की पुष्टि करता/ते हूँ/हैं कि इस निविदा में दी गई सभी सूचनायें, मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और इसमें कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है।
4. मैं/ हम यह सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ अथवा सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और मुझे/हमें स्वीकार्य होगा।

दिनांक:

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर: _____

एजेंसी का नाम, पता, फोन नंबर (मुहर के साथ): _____

संलग्नक 'सी'

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, गवालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

एलएनआईपीई परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित आर.ओ. सिस्टम और जल मृदुकारी
(वॉटर सॉफ्टनर) के लिए समग्र वार्षिक रखरखाव करार हेतु निविदा प्रस्तुत करने के उद्देश्य हेतु
कारोबार का प्रमाणपत्र

(मूलप्रति में प्रस्तुत किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स का पिछले तीन वर्षों में कारोबार
और अर्जित हानि/लाभ निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रुपये में)	कुल लाभ/हानि

उपरोक्त जानकारी/ आंकड़े हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं और उक्त फर्म की
बैलेंस शीट और/ या आयकर रिटर्न से प्राप्त हुए हैं।

दिनांक :

स्थान :

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मुहर
पंजीकरण संख्या

बोलीकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/ हम एतद् द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन तीनों वित्तीय वर्षों की संलग्न
बैलेंस शीटों और आयकर रिटर्न के आधार पर इसकी शुद्धता/ सत्यता का वचन देते हैं। मैं/ हम इस बात से
अवगत हैं कि किसी भी गलत सूचना/ मनगढ़ंत दस्तावेज को प्रस्तुत करने से करार की अवधि के दौरान या किसी
भी स्तर पर मेरी/ हमारी निविदा अथवा करार निरस्त हो जाएगा, साथ ही मैं/हम समुचित कानून के तहत
अभियोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

दिनांक :

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित): _____